

discrimination and exclusion of rural students who cannot possess commercial properties. Hence I request the hon. Minister for Finance to direct the banks to accept the agricultural land as security for education loan and disburse the amount quickly so that the rural students can benefit in global market.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

**श्री राजनीति प्रसाद (बिहार)** : महोदय, मैं श्री नाच्चीयप्पन जी के स्पेशल मेशन को एसोसिएट करता हूँ।

**Demand to give status of Scheduled Tribes to Muslims belonging to  
Mev and Mevasi castes**

**श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)** : महोदय, मेरा विशेष उल्लेख मेवों को मीणा जाति के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के संबंध में है।

महोदय, ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक मेव और मेवासी जातियां मेवाती की तरह आदिवासी समूह हैं। मेवातियों को जहां जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासी इस सुविधा से वंचित हैं। महोदय, ये तीनों जातियां मीणों की तरह जनजातियां हैं। अकबर के काल तक तो मेव और मीणों में विवाह संबंध भी होते थे। चन्द्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मेवासी जाति का उल्लेख किया है। इमरत खां ने "तारीख-ए-मेव" में लिखा है कि मेव और मीणा कोम के पूर्वज एक ही थे, जिनका पेशा नाव चलाना था। अंग्रेजों ने जनजाति अपराध कानून के तहत मेव और मीणा दोनों जातियों को अपराधी जनजातियों की सूची में डाला था। आजादी के बाद यह कानून रद्द हो गया। मीणों को जहां जनजातियों की सुविधा दी गई, वहीं मुस्लिम होने के कारण मेव और मेवासियों को यह लाभ नहीं मिला। यह खेदजनक और दुखद है कि एक समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ के बावजूद जहां एक ओर मीणा जनजाति का दर्जा पाकर सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर आसीन हैं, वहीं दूसरी ओर मेव अभी भी घोर सरकारी अपेक्षा के शिकार हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, समान आर्थिक-राजनैतिक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार गैर हिन्दुओं को भी आरक्षण का लाभ दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेव और मेवासी जाति के पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें भी संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।

**श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार)** : महोदय, मैं श्री अंसारी जी के स्पेशल मेशन से अपने आपको एसोसिएट करता हूँ।

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at five minutes past seven of the clock  
till eleven of the clock on Tuesday, the 28th July 2009.